**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर**
**पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस**

**पत्रावली संख्याः— 15/2018/निगरानी**

ग्राम पंचायत खोरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खोरा, पंचायत समिति व तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

**निगरानीकर्ता**

**बनाम**

प्रहलाद सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कांटिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

**गैर निगरानीकर्ता**

**निगरानी विरूद्ध निर्णय न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़ के प्रकरण संख्या 11/2017 अनुवानी प्रहलाद सिंह बनाम ग्राम पंचायत खोरा निर्णय दिनांक 07.05.2018**

वकील प्रार्थी श्री निरंजन शर्मा
वकील अप्रार्थी श्री सोहनलाल

**निर्णय** **दिनांकः—25.03.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी की ओर से ग्राम पंचायत के समक्ष ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित भूखण्ड का पट्टा बनवाने बाबत दिनांक 13.02.1996 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी नें अनाधिकृत कब्जा, अतिक्रमण कर रखा है तथा ग्राम पंचायत की ईजाजत के बिना चारदीवारी का निर्माण कर पत्थर आदि डालकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया, जिसके कारण आवेदक ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम पंचायत बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव के द्वारा अप्रार्थी का उक्त आवेदन अस्वीकार कर दिया। ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा प्रशासनिक व स्थाई समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो अधीन न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11 2016 को आवेदक ग्राम पंचायत को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि अप्रार्थी प्रहलाद सिंह को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के निर्देशानुसार अप्रार्थी को इस संबंध में नोटिस जारी किय गया, जिस पर अप्रार्थी ने उक्त नोटिस का जवाब पेश करते हुए उक्त विवादित भूखण्ड क उसका कदीमी कब्जेशुदा रिहायशी गुवाड़ी व नोहरा मानते हुए पट्टा जारी करने की मांग क गई। आवेदक ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में बैठक आहूत कर सर्वसम्मति से विवादित स्थ की वास्तविक स्थिति का पता लगानें के उद्देश्य से मौका कमिश्नर वार्ड पंच राजेन दयालाराम तथा उप—सरपंच सुनील स्वामी को नियुक्त कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्दे

को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं देकर मात्र अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व सारहीन तथ्यों को ही आधार मानकर चुनौतीग्रस्त एक तरफा निर्णय पारित किया है। ग्राम पंचायत बैठक की सर्वसम्मति से नियुक्त मौका कमिश्नर द्वारा मौका देखकर जो वास्तविक मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उस पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय नें ध्यान देना भी उचित नहीं समझा, साथ ही यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर ग्राम पंचायत नें अप्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुए पट्टा जारी करने से इंकार करने का जो निर्णय दिया है वह ग्राम पंचायत बैठक के सभी सदस्यों की पूर्ण सहमति से दिया गया। विवादित भूखण्ड के संबंध में आवेदक व अन्य के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा एक वाद–पत्र संख्या 18/2011 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 दांतारामगढ़ के समक्ष बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया, जिसमें इसके संबंध में कोई साक्ष्य सबूत नहीं होने के आधार पर वाद–पत्र दिनांक 13.08.2013 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के अप्रार्थी द्वारा अपील संख्या 54/2013 प्रस्तुत की गई जो न्यायालय जिला जज महोदय, सीकर द्वारा दिनांक 24.11.2015 को खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील संख्या 524/2015 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अतिक्रमण मानते हुए पुनः विचार करने का आदेश पारित किया गया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.05.2017 को तीन पंचों को मौका कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। उक्त मौका कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। उक्त मौका रिपोर्ट में भी कमिश्नर द्वारा अप्रार्थी का विवादित स्थल पर अतिक्रमण माना है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर एवं पर्याप्त साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ही ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी का आवेदन खारिज किया गया। परन्तु इस ओर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय नें कोई ध्यान नहीं देकर गंभीर कानूनी भूल की है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन व स्थापना समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़ का निर्णय दिनांक 07.05.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में प्रार्थी प्रहलादसिंह द्वारा सन् 1996 में सरपंच, ग्राम पंचायत खोरा तहसील दांतारामगढ़ के समक्ष आबादी का पट्टा चाहने बाबत अवेदन पेश कर अंकित किया है कि मेरी कब्जा शुदा भूमि है जिसमें मकान भी है। जिसका मौका देखकर आबादी भूमि का पट्टा जारी किया जावे। इसके पश्चात् किसी प्रकार की कार्यवाही करने बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है सीधे ही सन् 2009 में ग्राम पंचायत खोरा द्वारा प्रार्थी प्रहलादसिंह को अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस जारी किया गया। उक्त आबादी भूमि के पट्टे बाबत प्रार्थी प्रहलाद सिंह द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड), दांतारामगढ़ के समक्ष दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाद संख्या 18/2011 अनुवानी प्रहलाद सिंह बनाम ग्राम पंचायत खोरा व अन्य प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय (वरिष्ठ खंड), दांतारामगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.08.2013 को उक्त वाद खारिज कर दिया गया। न्यायालय (वरिष्ठ खंड), दांतारामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2013 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, सीकर के न्यायालय में अपील संख्या 54/2013 अनुवानी प्रहलाद सिंह बनाम ग्राम पंचायत खोरा व अन्य प्रस्तुत की गई, जिसमें उक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2015 के अंतिम पैरा में अंकित किया गया है कि "परिणामतः अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत यह अपील विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख. ) दांतारामगढ़ द्वारा दीवानी दावा संख्या 18/2011 प्रहलाद सिंह बनाम ग्राम पंचायत खोरा आदि

Web Copy Not Official

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांक 05.01.2016 में ग्राम पंचायत खोरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2016 की अपील सक्षम स्तर पर करने हेतु पारित कर दिया गया। प्रार्थी प्रहलाद सिंह द्वारा उक्त आबादी भूमि का पट्टा चाहने बाबत प्रस्तुत आवेदन पर ग्राम पंचायत खोरा द्वारा दिनांक 22.12.2015 को सदन के समक्ष निर्णय पारित कर अंकित किया गया है कि प्रहलाद सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी कांटिया ने खसरा नम्बर 828 रकबा 0.07 है0 गैर मुमकीन आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमित भूमि का पट्टा अतिक्रमी को नहीं दिया जा सकता। खसरा नम्बर 827 रकबा 0.13 है0 जो गैर मुमकीन आबादी है जिस पर भी प्रहलाद सिंह ने पक्के मकान व पशु आश्रय बना रखा है। अतः खसरा नम्बर 828 के पट्टे हेतु प्राप्त आवेदन निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत खोरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2015 के विरूद्व प्रार्थी प्रहलाद सिंह द्वारा न्यायालय प्रशासन स्थायी समिति, पंचायत समिति दांतारामगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया गया है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 का नियम 156 के तहत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर किसी व्यक्ति का पूर्व से प्लोसिबल पजेशन है तो वह व्यक्ति ही उक्त आबादी भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त नोहरे का पट्टा जारी किया जाना अत्यंत न्यायोचित है। न्यायालय प्रशासन स्थायी समिति, पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा उक्त अपील में निर्णय दिनांक 24.11.2016 पारित कर निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि "सदन में बाद व्यापक विचार–विमर्श कर पाया कि श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी कांटिया का आबादी खसरा नम्बर 828 रकबा 0.07 है0 के कुछ भाग पर 25–30 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। अतः ग्राम पंचायत खोरा के प्रस्ताव संख्या 03 व 04 दिनांक 22.12.2015 को निरस्त किया जाकर श्री प्रहलाद सिंह के आवेदन पत्रों को बहाल रखा जाकर ग्राम पंचायत खोरा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी श्री प्रहलाद सिंह को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर प्रार्थी के आवेदन पत्रों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।" तत्पश्चात् ग्राम द्वारा पुनः दिनांक 20.05.2017 को प्रस्ताव संख्या 3 में प्रार्थी प्रहलाद सिंह को अतिक्रमी माना है एवं अतिक्रमण हटाने हेतु निर्णय लिया गया। सरपंच, ग्राम पंचायत खोरा द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति को प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र में लिखा है कि प्रहलाद सिंह को खसरा नम्बर 827 में पुराने आवासीय मकान का पट्टा नियम 157 के तहत 297.66 वर्गगज का दिनांक 03.08.2017 को जारी कर दिया गया है। खसरा नम्बर 828 पर प्रहलाद सिंह का अवैध अतिक्रमण है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.05.2017 को हटाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके पश्चात् न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना समिति, पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा अपील संख्या 11/2017 अनुवानी प्रहलाद सिंह बनाम ग्राम पंचायत में दिनांक 07.05.2018 को विस्तृत निर्णय पारित कर अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 828 गै.मु.आबादी पर श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी कांटिया का पूर्ण कब्जा है जिस पर चार दिवारी बनाकर, टीन शैड, छान छपर बना रखे है। प्रहलाद सिंह द्वारा अपने कब्जा शुदा भूखण्ड का काफी समय से पट्टे की मांग की जा रही है। जो कि सरपंच द्वारा परेशान करने की नियम से नहीं दिया जा रहा है। सदन द्वारा मौका कमीशन रिपोर्ट अनुसार प्रहलाद सिंह का भूखण्ड पर अधिकार एवं स्वामित्व पाया गया। सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत खोरा के प्रस्ताव संख्या 03 बैठक दिनांक 20.05.2017 को खारिज किया जाता है एवं प्रहलाद सिंह के कब्जेशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने बाबत ग्राम पंचायत खोरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1) क्या प्रहलाद सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी कांटिया के नाम से ग्राम पंचायत खोरा द्वारा पूर्व में भी उक्त आबादी भूमि में पट्टा जारी किया जा चुका है? जैसा कि ग्राम पंचायत खोरा द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति को लिखा गया है।

(2) खसरा नम्बर 828 की जो भूमि है इसका Title क्या है? क्या यह ग्राम पंचायत को हस्तांतरित भूमि है या नही?

(3) क्या प्रार्थी पंचायत राज अधिनियम की धारा 156, 157 के तहत आबादी भूमि आवंटन की पात्रता रखता है या नही?

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के सम्बंध में विस्तृत निर्णय न्यायालय प्रशासन एवं स्थापन समिति पंचायत समिति, दांतारामगढ़ द्वारा पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अ निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण न्यायालय प्रशासन एवं स्थाप समिति पंचायत समिति, दांतारामगढ़ को प्रति प्रेषित कर लेख है उपरोक्त तीनों बिन्दुओं सम्बंध में उभयपक्षों की सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पा करें।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official